

पत्रांक: 016 /02 व्यघ (कनि0अभि0 संविदा)-सामान्य/2021

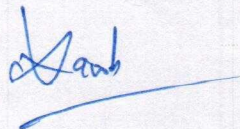
दिनांक 07/01/2021

"कार्यालय ज्ञाप"

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत वर्तमान संगठनात्मक ढाँचे में सीधी भर्ती के रिक्त चल रहे कनिष्ठ अभियन्ता के पदों पर संविदा के आधार पर तैनाती हेतु शासकीय पत्र संख्या 2248/111(1) 07-75 (अधि0)/07 दिनांक 14.11.2007 द्वारा निर्धारित उपबंधों तथा अनुबन्ध के आधार पर लोक निर्माण विभाग में संविदा के रूप में तैनात निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल/प्राविधिक/विद्युत/यॉत्रिक) जिनकी संविदा अवधि शासकीय पत्र संख्या 1066/111(1)/20-75(अधि0)/2007, टी0सी0-11 दिनांक 24.08.2020 द्वारा कलैण्डर वर्ष 2020 के संगत माहों/तिथि से 01 दिन का अवरोध देते हुये एक वर्ष हेतु बढ़ाये जाने की अनुमति प्राप्त है में से निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल/प्राविधिक/विद्युत/यॉत्रिक) संविदा जिनकी लोक निर्माण विभाग में संविदा के पद पर प्रथम तैनाती माह जनवरी में की गयी थी का संविदा अनुबन्ध कार्यहित में उनके वर्तमान तैनाती कार्यालय से समाप्त करते हुये उनके नाम के सम्मुख अंकित नव तैनाती कार्यालय में उपरोक्त शासकीय पत्र दिनांक 24.08.2020 द्वारा विस्तारित की गयी अवधि तक शासकीय पत्र दिनांक 14.11.2007 (प्रति संलग्न) द्वारा निर्धारित उपबंधों के अन्तर्गत अनुबन्ध बनाये जाने के आदेश एतद्वारा पारित किये जाते हैं।

क्र0 सं0	संविदा कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय का नाम	नव तैनाती कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5
1	कु0 मनीषा गुसाई	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) संविदा	निर्माण खण्ड, पौड़ी	निर्माण खण्ड, श्रीनगर
2	श्री आदित्य कुमार पाटनी	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) संविदा	निर्माण खण्ड, लोहाघाट	प्रान्तीय खण्ड, पिथौरागढ़
3	श्री धीरज हर्बोला	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) संविदा	राष्ट्रीय मार्ग खण्ड हल्द्वानी	राष्ट्रीय मार्ग खण्ड लोहाघाट
4	श्री अश्वनी कुमार	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) संविदा	अस्थाई खण्ड, भवाली	अस्थाई खण्ड, घनसाली
5	श्री सुभाष कुमार	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) संविदा	निर्माण खण्ड, पौड़ी	प्रान्तीय खण्ड, लैन्सडाउन
6	श्री प्रदीप पुरी	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) संविदा	अस्थाई खण्ड, बेरीनाग	निर्माण खण्ड, अल्मोड़ा
7	श्री सुरेन्द्र सिंह मेहरा	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) संविदा	अस्थाई खण्ड, बेरीनाग	प्रान्तीय खण्ड, अल्मोड़ा
8	श्री ज्ञानेन्द्र तिवारी	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) संविदा	निर्माण खण्ड, अल्मोड़ा	निर्माण खण्ड कपकोट
9	श्री नवीन टम्टा	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) संविदा	अस्थाई खण्ड, गौचर	प्रान्तीय खण्ड, गोपेश्वर
10	श्री दीपक कान्त	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) संविदा	निर्माण खण्ड कपकोट	प्रान्तीय खण्ड, डीडिहाट
11	श्री अरुण झण्डियाल	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) संविदा	राष्ट्रीय मार्ग खण्ड धुमाकोट	निर्माण खण्ड, पौड़ी
12	श्री यशपाल सिंह चौहान	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) संविदा	निर्माण खण्ड, चम्बा	प्रान्तीय खण्ड, उत्तरकाशी
13	श्री मोहित वर्मा	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) संविदा	निर्माण खण्ड, पावौ	निर्माण खण्ड, पौड़ी

कमश:- 02 पर




क्र० सं०	संविदा कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय का नाम	नव तैनाती कार्यालय का नाम
14	श्री कुशराज सैनी	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) संविदा	प्रान्तीय खण्ड, नैनीताल	राष्ट्रीय मार्ग खण्ड लोहाघाट
15	श्री गोपेश जोशी	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) संविदा	राष्ट्रीय मार्ग खण्ड अल्मोड़ा (लोहाघाट)	निर्माण खण्ड, अस्कोट
16	श्री सन्दीप असवाल	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) संविदा	निर्माण खण्ड, पुरोला	निर्माण खण्ड, उत्तरकाशी
17	श्री सौरभ कुमार	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) संविदा	ए०डी०बी० खण्ड, पौड़ी	प्रान्तीय खण्ड, पौड़ी
18	श्री चारु चन्द्र पुनेठा	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) संविदा	निर्माण खण्ड, अस्कोट	प्रान्तीय खण्ड, डीडिहाट

६०

(हरिओम शर्मा)

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार जारी किये जा रहे आदेशों का 03 दिन के भीतर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करवाते हुये उक्त संविदा कार्मिकों के वर्तमान कार्यालय से अनुबन्ध समाप्त करने तथा नव तैनाती कार्यालय में नया अनुबन्ध गठित करने की सूचना प्राथमिकता के आधार पर इस कार्यालय को अवगत कराये :-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
4. अधिशासी अभियन्ता (आई०टी०), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु।
5. सम्बन्धित संविदा कार्मिक द्वारा- अधिशासी अभियन्ता, वर्तमान तैनाती कार्यालय।

२६/०८/२०२१

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

उत्पल कुमार सिंह,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता स्तर-१,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-१

देहरादून, दिनांक १५ नवम्बर, 2007

विषय : लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत वर्तमान संगठनात्मक ढाँचे में सीधी भर्ती के रिक्त चल रहे सहायक अभियन्ता (सिविल) एवं कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पदों पर संविदा के आधार पर अल्पकालिक तैनाती किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 1069/228 व्यक/सा०/०७ दिनांक 24.07.2007 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य में मार्ग, भवन एवं सेतु निर्माण, सुधारीकरण एवं रख रखाव आदि कार्यों के सुचारु रूप से सम्पादन तथा पी०एम०जी०एस०वाई० तथा ए०डी०बी० वित्त पोषित कार्यक्रमों के समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता (सिविल) एवं कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) की कमी को पूर्ण करने के उद्देश्य से सहायक अभियन्ता (सिविल) के 13 तथा कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के 258 रिक्त पदों, इस प्रकार कुल 271 रिक्त पदों पर एक वर्ष अथवा लोक सेवा आयोग के नियमित चयन जो भी पहले घटित हो, की तिथि तक के लिए संविदा के आधार पर अल्पकालिक तैनाती किए जाने की अनुमति निम्न उपबंधों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. संविदा पर चयन हेतु मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष के द्वारा सार्वजनिक विज्ञप्ति, जिसमें सभी शर्तों का स्पष्ट उल्लेख हो, प्रकाशित करते हुए निर्धारित प्ररूप (संलग्नक -1) पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे। प्राप्त आवेदन पत्रों की संवीक्षा मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष की अध्यक्षता में तीन अधिकारियों की एक समिति, जिसका नामांकन / गठन शासन द्वारा यथासमय किया जायेगा, के द्वारा की जायेगी।
2. आवेदन हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि को सहायक अभियन्ता (सिविल) पद हेतु किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इंजीनियरिंग में चार वर्षीय डिग्री कोर्स तथा कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के लिए किसी मान्यता प्राप्त पॉलीटेक्निक से सिविल अभियांत्रिकी में डिप्लोमा होना आवश्यक होगा।
3. संविदा पर रखे जाने हेतु आयु सीमा, इन पदों के सम्बन्ध में नियमित चयन के लिए निर्धारित आयु सीमा के समान होगी और आरक्षित श्रेणी के आवेदकों को राज्य सरकार द्वारा अनुमन्य आयु सीमा में छूट दी जायेगी।
4. संविदा पर चयन हेतु राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित ऊर्ध्व और क्षैतिज आरक्षण (Vertical and Horizontal Reservation) के प्राविधानों का भी पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5. संविदा पर तैनाती हेतु लिखित अथवा साक्षात्कार की प्रक्रिया नहीं अपनाई जायेगी, वरन् मान्यता प्राप्त संस्थान से डिग्री/डिप्लोमा में प्राप्त अंकों के आधार पर श्रेष्ठता सूची (मेरिट) तैयार की जायेगी और उसी के आधार पर तैनाती हेतु चयन किया जायेगा।

संविदा पर चयन हेतु, गठित समिति द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता (मैरिट) के आधार पर तैनाती आदेश निर्गत करने से पूर्व, शासन का अनुमोदन भी प्राप्त किया जायेगा। संविदा पर तैनाती हेतु, चयन के उपरान्त तैनाती आदेश निर्गत होने से पूर्व, चयनित कार्मिक को निर्धारित प्ररूप (संलग्नक -2) जिसे सार्वजनिक विज्ञप्ति के साथ भी प्रकाशित किया जायेगा, पर अनुबन्ध निष्पादित करना होगा।

7. संविदा पर तैनात सहायक अभियन्ता (सिविल) एवं कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के द्वारा पूर्व निर्धारित/प्रचलित पदीय कर्तव्यों का निर्वहन किया जायेगा तथा नियत समयावधि के लिये इनका कोई मुख्यालय निर्धारित नहीं किया जायेगा, वरन् कार्यभार एवं कार्य की आवश्यकता के अनुसार इनकी तैनाती खण्ड अथवा किसी कार्य पर की जायेगी और आवश्यकता न रहने पर उन्हें तत्काल दूसरे खण्ड अथवा कार्य पर तैनात किया जा सकेगा।
8. संविदा के आधार पर तैनात सहायक अभियन्ता को प्रतिमाह रू0 15,000.00 (रूपया पन्द्रह हजार मात्र) एवं कनिष्ठ अभियन्ता को प्रतिमाह रू0 10,000.00 (रूपया दस हजार मात्र) नियत मानदेय प्रदान किया जायेगा।
9. संविदा पर तैनात कार्मिक को उपरोक्तानुसार निर्धारित एक मुश्त नियत मानदेय के अतिरिक्त नियमित कार्मिक की भांति अनुबन्ध में यथा इंगित सामान्य यात्रा भत्ता (स्थानान्तरण भत्ता को छोड़कर) एवं अन्य सुविधाएं अनुमन्य होगी।

अतः उक्त के कम में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उक्तानुसार सहायक अभियन्ता (सिविल) एवं कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पदों पर संविदा के आधार पर तैनाती किए जाने हेतु अविलम्ब अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें एवं कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त यदि किसी बिन्दु विशेष पर मार्गदर्शन की आवश्यकता हो, तो व्यक्तिगत रूप से शासन से सम्पर्क कर निर्देश प्राप्त कर लिए जाए, ताकि चयन की कार्यवाही शीघ्र सम्पादित की जानी सम्भव हो सकें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(उत्पल कुमार सिंह)
सचिव।

अनुबन्ध पत्र

यह अनुबन्ध वर्ष.....के.....माह के.....दिनांक को प्रथम पक्ष श्री/कु0/श्रीमती.....और उत्तराखण्ड के राज्यपाल (जिसे इसमें आगे द्वितीय पक्ष कहा गया है) के मध्य निष्पादित किया गया है ;

जबकि प्रथम पक्ष इस अनुबन्ध में अन्तर्विष्ट शर्तों के अधीन अपनी सेवाएँ देने को सहमत हो गया है ;

अतएवं, प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष के साथ निम्नवार करार करता है कि -

प्रथम पक्षपुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....निवासी.....लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर, नियुक्ति पत्र में योगदान दिए जाने की तारीख से यथा इंगित 01 वर्ष की अवधि अथवा लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अम्त्यर्थी की नियुक्ति की तारीख तक, जो भी पहले हो, के लिए पदों के विषय में विज्ञापन संख्या दिनांकमें उल्लिखित शर्तों से पूर्णतः सहमत है और निम्नलिखित शर्तों को स्वीकार करते हुए संविदा पर योगदान देने हेतु सहमति/बचनबद्धता देता/देती है।

1. विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार उत्तराखण्ड क्षेत्र में कहीं भी तैनाती/स्थानान्तरित करने पर प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी।
2. संविदा पर तैनाती की अधिकतम अवधि एक वर्ष अथवा लोक सेवा आयोग द्वारा नियमित नियुक्ति होने, जो भी पहले हो, तक की होगी और उक्त अवधि समाप्त होने पर उक्त तैनाती से प्रथम पक्षकार स्वतः हट जाएगा।
3. विभाग द्वारा नियमित चयन के समय उक्त तैनाती का लाभ दिए जाने हेतु प्रथम पक्षकार किसी प्रकार का दावा प्रस्तुत नहीं करेगा/करेगी।
4. प्रथम पक्ष विभाग द्वारा देय नियम मासिक मानदेय रू0..... एवं सामान्य यात्रा भत्ता (पदीय सामान्य अनुमन्यता श्रेणी अनुसार) के अतिरिक्त अन्य किसी भत्ते यथा मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं अन्य किसी प्रकार के भत्ते हेतु कोई दावा प्रस्तुत नहीं करेगा/करेगी।
5. प्रथम पक्षकार को वर्ष में 14 दिन के आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त किसी प्रकार का अवकाश अथवा अवकाश वेतन देय नहीं होगा।
6. प्रथम पक्षकार अपना सम्पूर्ण समय उसे प्रदत्त कार्यों के लिए सुलभ कराएगा/कराएगी तथा सरकारी सेवकों की आचरण नियमावली सहित समय-समय

र विहित नियमों का अनुपालन करेगा/करेगी एवं ऐसे कर्तव्यों का निष्पादन करेगा/करेगी, जो उसे समुनेदेशित किये जायेंगे।

प्रथम पक्ष की तैनाती निम्नानुसार समाप्त की जा सकेंगी :-

- (क) द्वितीय पक्ष द्वारा एक कैलेण्डर माह की लिखित सूचना देकर किसी भी समय, द्वितीय पक्ष की राय में इस अनुबंध के अधीन रहते हुए सेवा के दौरान अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक निष्पादन हेतु अनुपयुक्त पाया गया हो।
- (दो) द्वितीय पक्ष द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के, यदि चिकित्सीय साक्ष्य के आधार पर द्वितीय पक्ष का समाधान हो जाता है कि प्रथम पक्ष अस्वस्थ है एवं अस्वस्थता के कारण उत्तराखण्ड में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए काफी समय तक अयोग्य रहने की सम्भावना है।
- (तीन) द्वितीय पक्ष द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के, यदि प्रथम पक्ष इस अनुबंध के किसी प्राविधान अथवा जिस शाखा में वह तैनात है, उसके किसी नियम की अवज्ञा या असंयम का दोषी पाया जाय।
- (चार) इसके अतिरिक्त, इस अनुबंध के अधीन तैनाती के दौरान किसी भी समय प्रथम पक्ष को अथवा द्वितीय पक्ष द्वारा बिना कोई कारण बताए एक माह की लिखित सूचना देकर समाप्त की जा सकती है।

परन्तु यह कि उक्त प्रकार के नोटिस के बदले द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा द्वितीय पक्ष को एक माह के नियत मानदेय के समतुल्य राशि का संदाय किया जायेगा।

8. प्रथम पक्ष तदर्थ/अस्थायी/नियमित चयन के लिए कोई मांग नहीं करेगा/करेगी।
9. संविदा पर तैनाती के दौरान प्रथम पक्ष अथवा उसके परिवार के प्रति किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर द्वितीय पक्ष जिम्मेदार नहीं होगा।
10. किसी ऐसे मामले के संबंध में, जिसके लिये इस अनुबंध में कोई प्राविधान नहीं किये गये हैं, उनके संबंध में द्वितीय पक्ष का विनिश्चय अन्तिम होगा।

दिनांक
स्थान

प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर

दो गवाहों के हस्ताक्षर एवं पते—

1.

2.

प्रतिहस्ताक्षरित/सत्यापित

नियुक्ति प्राधिकारी

14/11/07
(अरविन्द सिंह गुप्ताजी)
अपर सचिव
लोक निर्माण विभाग
उत्तराखण्ड शासन